अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
4-12-2014	**आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा** भूमि विवाद अपील संख्या-283/2012 राम प्रसाद यादव एवं अन्य ..... अपीलकर्त्ता बनाम राम कृष्ण यादव .....विपक्षी **आदेश** यह अपील अपीलकर्त्ता द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, निर्मली के भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या-96/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2012 के विरूद्ध दाखिल किया गया है। 2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। 3. अपीलकर्त्ता का उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन है कि विपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन दिया गया कि मौजा पंचगछिया में खाता (पुराना) 45/ खाता 61 (नया) खेसरा पुराना 222/ नया 346, 347 रकवा 1 कट्ठा 10 धूर को अपीलकर्त्ता एक फूस का घर खड़ा कर अतिचार (Trespass) करने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्षी द्वारा जानबूझ कर इस बात का जिक्र नही किया कि खेसरा 346 का कितना रकवा एवं 347 का कितना रकवा विवादित है। इस तरह विपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय में गलत मुकदमा दाखिल कर न्यायालय को गुमराह कर अपने पक्ष में आदेश पारित कर लिया है। जबकि अपीलकर्त्ता का कथन था कि उन्हे खेसरा 346 से कोई सटाकर भूमि नही है। खाता 61 खेसरा 347 के खतियान से स्पष्ट है कि इस खाता एवं खेसरा का रकवा 8 डीसमील जमीन में उनका मकान मय सहन है। हाल सर्वे खतियान का प्रकाशन हो चुका है, जिसमें खाता 61 खेसरा 347 रकवा 8 डीसमील पर अपीलकर्त्ता का दखल कब्जा दिखाया गया हैं, जिसके विरूद्ध विपक्षी द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा दाखिल नही किया है। अपीलकर्त्ता द्वारा विपक्षी के रिश्तेदार राम सेवक यादव से दिनांक 20.12.1993 को खाता 45 (पुराना) खेसरा (नया) 61 खेसरा (पुराना) 222, 223,	

227, 228 खेसरा (नया) 345 रकवा 1 कट्ठा 10 धूर जमीन की खरीदगी किया गया था, जिसके चौहद्दी में दाक्षिण में अपीलकर्त्ता के पिता ठको यादव का जमीन था। वही जमीन खेसरा 347 है, जिसपर अपीलकर्त्ता के पिता का मकान मय सदन हाल सर्वे में प्रदर्शित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि जिस जमीन का खतियान कायम हो चुका है, उसपर किसी प्रकार का विवाद का निराकरण सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अतः विपक्षी का कथन कि अपीलकर्त्ता द्वारा जबरन फूस का घर बना लिया गया है, गलत नहीं है। विवादित जमीन पर उनका (अपीलकर्त्ता) का फूस का मकान पूर्व से नहीं बना हुआ है और उस पर उनका दखल कब्जा हाल का है, विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, निर्मली के आदेश दिया गया कि अपीलकर्त्ता पन्द्रह दिनों में विवादित भूमि को अवैध अतिसार से मुक्त कर दे अन्यथा इसे दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त कर विवादित भूमि को अवैध अतिसार से मुक्त कर दिया जायेगा। निम्न न्यायालय का यह आदेश विधि सम्मत् नही है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-1091/13 में आदेश पारित किया गया है कि भूमि सुधार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम को धारा 4 का आई0जे0एच0 धारा झ, ज एवं च को निरस्त कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस तरह के जटिल (Title) का निराकरण सिविल कोर्ट द्वारा ही किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय में बहस के दौरान कहा गया कि अपीलकर्त्ता द्वारा वासगीत पर्चा के लिये अंचलाधिकारी, निर्मली के समक्ष आवेदन किया है। परन्तु वासगीत पर्चा निर्गत नहीं है, फलतः बहस के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। निम्न न्यायालय का आदेश को निरस्त करने का वे अनुरोध किये हैं।

4. विपक्षी का उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन है कि अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल यह अपील वाद कालबधित है। विवादित जमीन मौजा पंचगछिया थाना व अंचल मरौना जिला सुपौल में स्थित है, जिसका खाता 45 (पुराना) खेसरा 222 (पुराना) खाता 61 (नया) खेसरा 346, 347 रकवा 1 कट्ठा 10 धूर है। खाता 45 (पुराना) खेसरा 222 एवं अन्य जमीन खतियान में धनुकधारी, पलकधारी, चेयरू एवं सोखी पेसरान कन्हैया मण्डल दखलकार अंकित है। विपक्षी, रामकृष्ण यादव इन खतियानी रैयत में से पलकधारी मंडल के वारिस है। पुराना सर्वे में पुराना खेसरा 22 जमीन का किस्म मकान मय सदन बेलगान एवं हाल सर्वे खतियान में खेसरा पुराना 222 नया खेसरा 346 एवं 347 मकान मय सदन अंकित है। स्व0पलकधारी मंडल के मरने के बाद उनके वारिसान दखलकार रहते आये एवं मालगुजारी रसीद निर्गत होता रहा जिसे बहस के दौरान दिखाया गया। विपक्षी के पिता रामीजी यादव के नाम से जमाबंदी संख्या-824 कुल रकवा 1 बीघ 18 कट्ठा 16.5 धूर की रसीद वर्ष 2011-12 तक निर्गत होता रहा।

इसके अतिरिक्त खतियानी रैयत पलकधारी मंडल के पोता फुलेश्वर यादव के नाम से जमाबंदी सेख्या-823 एवं राधे यादव पिता पलकधारी मंडल के नाम से जमाबंदी संख्या-825 का मालगुजारी रसीद निर्गत होता रहा। उनके विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि विवादित जमीन पुराना खेसरा 222 नया खेसरा 347 अंदर खाता 45 नया खाता 61 पर अपीलकर्त्ता राम प्रसाद यादव या उनके दादा ठको यादव या उनके पिता किशोरी यादव का कभी भी हक सरोकार या दखल कब्जा नही हुआ। इसके बाबजूद ठको यादव द्वारा हाल सर्वे में मेल मिलाप कर अपना नाम अंकित करवा लिया गया। नया खेसरा 346 के निश्वत् भी मिश्री यादव एवं भोला यादव ने बिना किसी दखल कब्जा के हाल सर्वे खतियान के पाँचवे कालम में अपना नाम अंकित करवा लिया। विपक्षी को इसकी जानकारी मिलने पर उनके पिता रामजी यादव द्वारा बी0टी0एक्ट की धारा 106 अन्दर मुकदमा खंख्या-2395/84 सर्वे एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय दाखिल किया गया, जिसे निष्पादनार्थ निर्मली, सुपौल के राजस्व पदाधिकारी श्री जे0एन0 राम के न्यायालय में स्थानान्तरित हुआ। उपरोक्त वाद में वादी/प्रतिवादी को सुनवाई के पश्चात् खेसरा 347 के निस्बत दखल ठको यादव तथा खेसरा 346 के निस्बत दखल मिश्री यादव व भोला यादव के नाम को पारित आदेश दिनांक 10.03.2006 के द्वारा विलोपित कर दिया गया, जो आदेश के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है। उपरोक्त तथ्यों एवं सबूतों से अपीलकर्त्ता का दावा विवादित जमीन पर गलत एवं अवैध साबित हो जाता है। इसके बाबजूद अपीलकर्त्ता राम प्रसाद यादव द्वारा प्रतिवादी रामकृष्ण यादव के खानदानी जमीन नया खेसरा 347 के अंश भाग पर एक छत्री अजय जबर्दस्ती लटका दिया जिसके कारण विपक्षी को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, निर्मली के न्यायालय में वाद संख्या-96/2011-12 दाखिल करना पड़ा। जिसमें अपीलकर्त्ता हाजिर होकर दिनांक 18.05.2012 को लिखित जबाव दाखिल किये, जिसके कालम 8 में दायर किया गया है कि नया खेसरा 346 की जमीन से उनको कोई सरोकार नही है, वही कालम 9 में दावा किया गया है कि विपक्षी के खतियानी जमीन का खाता 51 खेसरा 220 रकवा 4 धूर का नक्शा कटकर खेसरा नया 347 में दर्ज हो गया है। तथा विपक्षी की खतियानी जमीन खेसरा 220 तथा सरकारी सड़क का भी नक्शा कटकर खेसरा नया 347 में दर्ज हो गया है। अपीलकर्त्ता का दावा गलत/झूठा एवं अस्पष्ट है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पक्षों की सुनवाई के पश्चात् दाखिल कागजात सबूत के आधार पर पारित आदेश विधि सम्मत् है एंव अपील आवेदन खारिज योग्य है।

5. निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल लिखित बहस दिनांक 03.12.2014, लिस्ट ऑफ डाकुमेन्टस दिनांक 22.11.2013, विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित बहस

दिनांक 04.12.2014 का अवलोकन किया। उभय पक्षों द्वारा बहस के दौरान रखे गये तथ्यों पर भी गौर किया। अपीलकर्त्ता का दावा है कि विपक्षी के हिस्सेदार राम सेवक यादव से दिनांक 20.12.1993 को खाता (पुराना) 45 खाता नया 61 खेसरा पुराना 222, 221, 223, 227, 228, खेसरा नया 345 रकवा एक कट्ठा जमीन की खरीदगी की है, जिस जमीन के चौहद्दी में दाक्षिण में उनके पिता ठको यादव का जमीन है, वही जमीन खेसरा 347 है, जिसपर उनके पिता का मकान मय सदन नया सर्वे में अंकित है। जिस जमीन का खतियान सर्वे में प्रकाशित हो चुका है, उसके विवाद का निराकण सक्षम न्यायालय/सिविल न्यायालय द्वारा ही होता है। वही विपक्षी का दावा है कि विवादित जमीन के वे खतियानी रैयत है, जिनके नाम से जमाबन्दी कायम है। हाल सर्वे में अपीलकर्त्ता द्वारा ठको यादव, मिश्री यादव एवं भोला यादव का नाम अंकित करवा दिया, जिसका सुधार विपक्षी के पिता रामजी यादव द्वारा बी0टी0 एक्ट की धारा 106 के अन्तर्गत दाखिल मोकदमा संख्या-2395/84 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2006 द्वारा हुआ। अपीलकर्त्ता उनके खतियानी जमीन नया खेसरा 347 के अंश पर फूस का घर बनाकर अतिचार कर लिया गया है। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, निर्मली के आदेश दिनांक 27.06.2012 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उनके द्वारा पक्षों की सुनवाई के पश्चात् पाया गया कि प्रश्नगत जमीन राम कृष्ण यादव (विपक्षी) को पैतृक व खतियानी सम्पति है। उनके द्वारा अपीलकर्त्ता, राम प्रसाद यादव को अवैध अतिचार (Trespass) से मुक्त करने का आदेश दिया गया।जिससे मैं सहमत हूँ। विपक्षी द्वारा किये गये अपने दावों के पक्ष में सभी कागजात बहस के दौरान दिखाये गये।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज (Reject) किया जाता है तथा निम्न न्यायालय के आदेश को सम्पुष्ट किया जाता है। अपीलकर्त्ता अगर चाहे तो सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते है। कृपया तद्बुसार सूचित करें। निम्न न्यायालय के अभिलेख को लौटाते हुए वाद की कार्यवाई निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

4.12.14

आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा

4.12.14

आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा